राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :– एफ 7(2) ( ) राछा./सान्याअवि/17/ 34759 जयपुर, दिनांकः 13/06/17

संशोधित आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2016–17 की घोषणा संख्या 115 के अन्तर्गत **"मुख्यमंत्री नि:शुल्क कोचिंग योजना"** के अन्तर्गत **IIT/MEDICAL/LAW/IIM** आदि राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा की कोचिंग के लिये विभाग द्वारा राजकीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2017–18 में आवासरत छात्र/छात्राओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक से सत्यापित करवाकर संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निदेशालय को दिनांक 31.05.2017 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2017 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2017 तक की जाती है। अतः इस संबंध मे, कोचिंग योजना दिशा–निर्देश, 2016 के नियम 4 के अनुसार कार्यवाही की जानी हैं :–

(iv)विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी/मेडिकल/विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए कक्षा 11व 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

(iv)आवेदक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा स्थित छात्रावासों में आवासरत हो अर्थात् संबंधित आवेदक को प्रथमतः कोटा/जयपुर शहर में स्थित राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान की कक्षा 11 अथवा 12 में अध्ययन हेतु प्रवेश लेना होगा। तदुपरान्त कोटा/जयपुर (शहर) में स्थित विभागीय छात्रावास में प्रवेश लेना होगा। इसके उपरान्त ही अन्य पात्रता का पूर्ण करने वाले विद्यार्थी कोचिंग हेतु आवेदन कर सकेगें।

(डॉ.समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7 (2)( ) रा.छा./सान्याअवि/17/ 34760 – 864 जयपुर,,दिनांक 13/06/17

प्रतिलिपिः–

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।

3.निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4.जिला कलक्टर,....................।

5.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,..................।

6.उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,....................को भेजकर लेख है कि कोचिंग हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें।

7.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभाग के समस्त जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराने की व्यवस्था करावें तथा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

9.आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

D:\work\03-04-2017 (II).doc